

राजस्थान सरकार
निवेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:— एफ.3(ग)ए.सी.पी./1992 रॉ—ग/अलेसे—ग/ ५५३३-३८

दिनांक:— ०३-०५-२०१३

कार्यालय आदेश संख्या ४४ /2013-14

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/ रॉल्स/ 2008 / दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ—14(८८)एफडी(नियम) 2008—। दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कानिष्ठ लेखाकार के पद पर परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण दिया था तथा जिन्होंने 18 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम ले सामने अंकित कॉलम संख्या ५ में उल्लेखित दिनांक से कानिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय ए.सी.पी. पाबी-२, ९३००-३४८०० पै—बैण्ड एवं येड—मे ४२०० रुपये कृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम लेखाकार (संक्षी)	जन्मतिथि	प्राप्त कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	३	३	४	५	६
1.	केशव देव मीणा	27.08.1970	23.01.1993	23.01.2013	
2.	समरापाल मीणा	10.06.1968	23.01.1995	23.01.2013	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (८८) एफडी (नियम) 2008—। दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में सतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र य अनुसार सम्बन्धी वोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (८८) वित्त/नियम/०८ दिनांक 27.07.12 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत ९ वर्षों में से ७ वर्षों की एपीडुआर य सतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में बतिकूल प्रविष्टि होने पर बत्करण पुनः खोला जायेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय दिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का येतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैसा १९, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ—14(८८)एफडी(नियम) 2008—। दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इस स्वीकृति य येतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवाप्रुसिका में की जायें। येतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित तर लिया जाये कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित येतनमान) 2008 में पे—येड ३६०० में येतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाच लम्बित नहीं है।

[Signature]
निदेशक

क्रमांक:— एफ.3(ग)ए.सी.पी./1992 रॉ—ग/अलेसे—ग/ ५५३३-३८
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष
2. श्री लेखाकार, कार्यालय
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी प्रावाली मूल आवेदन सहित/ गार्ड फार्म/ गोपनीय अनुभाग/ कम्प्यूटर अनुभाग (यैवसाईट हेतु)

[Signature]
अतिरिक्त निदेशक (फार्मिंग—I)